सांघी औद्योगिक समूह को सी. आर. जेड. अनुमोदन प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन

1842. **श्री गोपाल सिह जी. सोलंकी**:

श्री दिलीप सिंह जूदेव

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य के कच्छ जिले में सीमेंट कारखने की स्थापना करने के लिए पर्यावरणीय अध्यादेश के अन्तर्गत सी.आर.जेड अनुमोदन के लिए उनके मंत्रालय को एक अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके द्वारा अभी तक उक्त समूह को अनुमति प्रदान न किये जाने के क्या कारण और औचित्य है; और

(घ) इस संबंध में उन्हें अब तक संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए है और अब तक ऐसे पत्रों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है; और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

(**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री**)

(**श्री बाबू लाल मरांडी**): (क) से (घ) गुजरात के कच्छ जिले में मैसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सीमेंट परियोजना के लिए कैप्टिव जैटी के लिए सी.आर.जेड. निकासी के लिए इस मंत्रलय को एक प्रस्ताव भेजा था । तदन्तर उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद कि संबंधित भूमि एक संरक्षित वन है, गुजरात सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वन (संर क्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत वन भूमि के विचलन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इस परियोजना पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए कुछ संसद सदस्यों से भी पत्र प्राप्त हुए है ।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए एक विशेष्ज्ञ समिति का गठन किया है । परियोजना के बारे में इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा ।

आई.एन.ए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग अस्पाल के आसपास पर्यावरण की स्थिति

1843. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आई.एन.ए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग अस्पताल के आसपास प्रदूषण के लगातार बढ़ने से इन क्षेत्रो का पर्यावरण काफी खराब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन क्षेत्रों में खाली भूमि जैसे डिवाइडरों, सड़क के किनारों एवं अस्पताल के अन्दर पार्को में वृक्षों का अभाव है:

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ड) क्या सरकार इन क्षेत्र में प्रदूषण-स्तर को कम करने के लिए सबंधित विभाग की सहायता से बड़े पैंमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का विचार रखती हैल और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बाबूलाल मरांडी**): (क) और (ख) याः देखा गया है कि आई.एन.ए. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग अस्पताल के पास परिवेशी वायु गुणवत्त वाहन उत्सर्जन के कारण प्राभवित है । केंद्रिय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान / आइ.एन.ए. यातायात चौराहे पर परिवेशी वायु की गुणवत्ता को नियमित रूप से मानीटाड़ कर रहा है ।

(ग) से (च) खाली भूमि जैसे विभाजकों, सड़क के किनारों और सफदजंग अस्पताल के अन्दर पार्को में वृक्षारोपण का उत्तर दायित्व केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का है । हरित दिल्ली योजना के अन्तर्गत संबंधित सरकारी विभागों की सहायता से वनीकरण अभियान चलाए गए है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाद का चालू वित्तिय वर्ष के दौरन इस क्षेत्र में लगभग 650 पेड़ लगाने का प्रावधान है ।

खाली भूमि जैसे विभाजकों, सड़क के किनारों और आई.एन.ए. के पास पार्को में वृक्षारोपण के लिए नई दिल्ली नगरपालिका उत्तरदायी है । हरित दिल्ली योजना के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका ने वर्ष 1998-99 के दौरान इस क्षेत्र में लगभग 150 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

Revenue Land under Zudpi Jungle

1844. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the latest position of the case of 'Zupdi Jungle' matter in the Vidarbha region of Maharashtra where

lot of revenue land was shown as forest land under .Zupdi Jungle;

(b) What are the salient features of the demand made by people in the various representations; and

(c) when and how will this problem be solved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) In view of existing guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980, the provisions of the said Act are applicable on "Zudpi Jungle" areas, as these are recorded as forests in the State Government records. This was also clarified to the state Government vide guidelines issued by the Ministry on 12th February, 1992 after discussing the issue with the State Government.

(b) In the representations received from various fora, regarding issue of 'Zudpi Jungles' it has been mainly requested to exempt these areas from the purview of Forest (Conservation) Act, 1980, as the control of such areas is not with the Forest Department.

(c) In the guidelines issued in February, 1992, it was also clarified for that part of 'Zupdi Jungle' which has already been used for certain non-forestry purpose, but, corresponding mutation entries have not been made in the revenue records, specific proposals will be sent by the State Government for approval of the Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980. Such a suggestion was also made by another committee constituted by the Central Government in 1996, which also comprise of members of State Government. Formal proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980, as mentioned above have not been received from the State Government so far. Therefore,, the question of taking a final decision on -the issue of 'Zudpi Jungle' areas docs not arise.

Decline in Forest Cover

1845. DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the total forest cover in the country, State-wise, in 1971, 19ZA81, 1991 and 1997;

(b) the reasons for sharp decline in the forest cover;

(c) total forest area under encroachment in Assam and area of reserve forest without plantation or natural forest;

(d) whether Government have received any proposal for dereservation of such forest reserves for other purposes; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARANDI): (a) Assessment of forest cover is done by Forest Survey of India biennially since 1987. Forest cover in various States as per 1991 and 1997 assessments is given in the Statement *(See below).*

(b) Ministry has requested the concerned State/UT Governments to take serious note of the depletion of forest cover and to make an indepth analysis of the factors contributing to the depletion of forest cover, to evolve effective strategy and action programme for arresting the trend so as to increase the forest cover in the coming years. Ministry has also requested Planning Commission and all State/UT Governments for increasing the allocation for forestry sector. Major steps taken for proper preservation of forests and forest wealth are:

(i) Afforestation programmes are undertaken by State/UT Governments from their own resources as well as with financial assistance from Government of India.